डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

प्र0न0 – 135/2023

उनवान : –

1. सतीश कुमार पुत्र जगदीश स्वामी जाति स्वामी निवासी नेठराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भोमाराम जाति बैरागी (स्वामी) निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र जगदीश स्वामी जाति स्वामी निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सिरसा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं0 47/41 की 15.180है0 जिसमें 14.904है0 नहरी व 0.076है0 रास्ता, तथा 0.200है0 खाला में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद अकेले की बजाय वादी सतीश कुमार प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद व प्रतिवादी सं0 2 सुनील कुमार को वहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26-09-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी

(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 135/2023

अनवान : —

1. सतीश कुमार पुत्र जगदीश स्वामी जाति स्वामी निवासी नेठराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भोमाराम जाति बैरागी (स्वामी) निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र जगदीश स्वामी जाति स्वामी निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सिरसा जरिये शाखा प्रवन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री श्रवण सहारण वादी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 26-09-23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं0 47/41 की 15.180है0 जिसमें 14.904है0 नहरी व 0.076है0 रास्ता, तथा 0.200है0 खाला में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 ता 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्यवादी में वादी सतीश कुमार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा वर्तमान जमाबंदी के साथ–साथ पैतृक संपति की जमाबंदी तस्दीक करवायी गयी।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

(राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं0 47/41 की 15.180है0 जिसमें 14.904है0 नहरी व 0.076है0 रास्ता, तथा 0.200है0 खाला में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं0 47/41 की 15.180है0 जिसमें 14.904है0 नहरी व 0.076है0 रास्ता, तथा 0.200है0 खाला में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद अकेले की बजाय वादी सतीश कुमार प्रतिवादी सं0 1 जगदीश प्रसाद व प्रतिवादी सं0 2 सुनील कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-09-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़